Member of Parliament Local Area Development Scheme



भारत सरकार सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001 GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001

FAX: 23364197 E-mail: mplads@nic.in

No. C-06/2011-MPLADS

Dated 8th July, 2011

To,

The Nodal Secretaries of States/UTs
Commissioner Municipal Corporation of Delhi/Kolkata/Chennai/Mumbai
District Collector/District Magistrates/Deputy Commissioners,
All Districts.

Sub: Clarification regarding purchase of books for schools, colleges and Public Libraries from MPLADS funds —placing of monetary ceiling on the funds to be released from MPLADS funds.

Sir/Madam,

In continuation to this Ministry letter C-06/2011-MPLADS dated 18.05.2011 wherein the monetary ceiling on the amount that can be sanctioned by an MP from his MPLADS funds for purchase of books for schools, colleges and public libraries belonging to Central, States/UTs and Local Self Government from MPLADS funds was enhanced.

- 2. The matter has further been examined in view of the enhanced allocation of MPLADS funds. This Ministry has decided on merit, to further increase the monetary ceiling on the amount that can be sanctioned by an MP, from his MPLADS funds for purchase of books for schools, colleges and public libraries, belonging to Central, States/UTs and Local Self Government from MPLADS funds as given below:-
 - (i) Purchase of books for schools upto middle level Upto Rs.6 Lakh
 - (ii) Purchase of books for schools upto high school/ Upto Rs.8 Lakh Higher secondary level.
 - (iii) Purchase of books for colleges/other technical Upto Rs.8 Lakh institutes/ITIs/Public Libraries

- In view of the above, MPs may recommend to the extent of Rs.22 Lakh per annum from their MPLADS funds for purchase of books to schools, colleges and public libraries.
- 4. While recommending purchase of books to schools, colleges and other technical institutes etc., the following monetary ceiling will be adhered to for a particular school/college/other technical institutions/ITI's/Libraries:-

i) Upto Middle School Level

- Rs. 10,000/-

ii) Upto High School/Higher Secondary Level

- Rs. 25,000/-

iii) For colleges/other technical institutes/ITIs/Public Libraries

- Rs. 50,000/-

These Schools/Colleges/Institutes will not be entitled for recommendation of books in the subsequent year. But will be entitled in the $3^{\rm rd}$ year again.

- 5. The recommendations made by the Hon'ble MPs will be examined/approved by a Committee consisting of:-
 - (i) District Education Officer Chairman
 - (ii) A representative of District Magistrate/District Collector;
 - (iii) Two Principals/Head Masters; and
 - (iv) Co-opt Head Master/Principal of the School/college/institution to whom the books are proposed to be supplied.
- 4. This issues with the approval of Hon'ble Minister of S&PI.

Yours faithfully,

(A.K. Choudhary)
Director (MPLADS)

Tel. 23344933

Copy for information to:

1. All Hon'ble Members of Parliament (Lok Sabha/Rajya Sabha).

- 2. Rajya Sabha Committee on MPLADS, Rajya Sabha Secretariat, New Delhi.
- 3. Lok Sabha Committee on MPLADS, Lok Sabha Secretariat, New Delhi.
- 4. To all concerned in MPLADS Division.
- 5. NIC for uploading on the MPLADS Website.

Member of Parliament Local Area Development Scheme



भारत सरकार सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001 GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001

FAX: 23364197 E-mail: mplads@nic.in

सं. सी-06/2011-एमपीलैंड्स

Dated..... 8 जुलाई, 2011

सेवा में.

राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के नोडल सचिव आयुक्त नगर निगम, दिल्ली/कोलकाता/चेन्नई/मुंबई जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त, सभी जिले ।

विषयः एमपीलैंड्स निधि से स्कूलों, कॉलेजों तथा सार्वजनिक पुस्तकालयों हेतु पुस्तकों की खरीद के बारे में स्पष्टीकरण - एमपीलैंड्स निधि से जारी की जाने वाली धनराशि पर मौद्रिक सीमा लगाना ।

महोदय/महोदया,

यह पत्र इस मंत्रालय के दिनांक 18.05.2011 के पत्र सं. सी-06/2011-एमपीलैंड्स के क्रम में है जिसमें उस धनराशि पर मौद्रिक सीमा बढ़ाई गई थी जिसे कोई सांसद केंद्र, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों तथा स्थानीय स्वशासन से संबंधित स्कूलों, कॉलेजों तथा सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए पुस्तकों की खरीद हेतु अपनी एमपीलैंड्स निधि से स्वीकृत कर सकता है।

- 2. एमपीलैंड्स निधि के बढ़े हुए आबंटन को दृष्टिगत रखते हुए, मामले की आगे जाँच की गई है। मंत्रालय ने मेरिट आधार पर निर्णय किया है कि उस धनराशि पर मौद्रिक सीमा को और अधिक बढ़ा दिया जाए जिसे कोई सांसद केंद्र, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा स्थानीय स्वशासन से संबंधित स्कूलों, कॉलेजों तथा सार्वजिनक पुस्तकालयों के लिए पुस्तकों की खरीद हेतु अपनी एमपीलैंड्स निधि से स्वीकृत कर सकता है, जैसा कि नीचे दिया गया है:-
- (i) मिडिल स्तर तक के स्कूलों हेतु पुस्तकों की खरीद 6 लाख रु. तक
- (ii) हाई स्कूल/हायर सेकेंडरी स्तर तक के स्कूलों हेतु 8 लाख रु. तक पुस्तकों की खरीद
- (iii) कॉलेजों/अन्य तकनीकी संस्थानों/आईटीआई/ 8 लाख रु. तक सार्वजनिक पुस्तकालयों हेतु पुस्तकों की खरीद
- 3. उपर्युक्त के मद्देनजर, कोई सांसद स्कूलों, कॉलेजों तथा सार्वजिनक पुस्तकालयों के लिए अपनी एमपीलैंड्स निधि से 22 लाख रु. तक की धनराशि की प्रतिवर्ष सिफारिश कर सकता है।

4. स्कूलों, कॉलेजों और अन्य तकनीकी संस्थाओं आदि के लिए पुस्तकों की खरीद की सिफारिश करते हुए, किसी विशेष स्कूल/कॉलेज/अन्य तकनीकी संस्थाओं/आईटीआई/पुस्तकालयों के लिए निम्नलिखित मौद्रिक सीमा का पालन किया जाएगा:-

(i) मिडल स्कूल स्तर तक

- 10,000 रु./-

(ii) हाई स्कूल/हायर सेकेंडरी स्तर तक

- 25,000 रु./-

(iii) कॉलेज/अन्य तकनीकी संस्थाओं/आईटीआई/ पुस्तकालयों के लिए

- 50,000 ₹./-

ये स्कूल/कॉलेज/संस्थान अगले वर्ष में पुस्तकों की सिफारिश के पात्र नहीं होंगे । किन्तु तीसरे वर्ष में पुनः ये इसके पात्र होंगे ।

- 5. माननीय सांसदों द्वारा की गई सिफारिशों की जाँच/उनका अनुमोदन एक समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:-
 - (i) ज़िला शिक्षा अधिकारी

- अध्यक्ष

- (ii) ज़िला मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी के एक प्रतिनिधि;
- (iii) दो प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक; तथा
- (iv) स्कूल/कॉलेज/संस्थान के सहयोजित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य जिन्हें पुस्तकों की आपूर्ति करने का प्रस्ताव है ।
- 6. इसे माननीय मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

शुभेच्छु,

(ए.के. चौधरी)

निदेशक (एमपीलैंड्स)

फोनः 23344933

प्रतिलिपि सूचनार्थः-

- 1. सभी माननीय संसद सदस्य (लोक सभा/राज्य सभा) ।
- एमपीलैंड्स संबंधी राज्य सभा सिमित, राज्य सभा सिचवालय, नई दिल्ली ।
- 3. एमपीलैंड्स संबंधी लोक सभा समिति, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
- 4. एमपीलैंड्स प्रभाग में सभी संबंधित अधिकारियों को ।
- एनआईसी को एमपीलैंड्स वेबसाइट पर डालने हेतु ।